

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1982/फाल्गुन 29, 1903
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1982/PAHALGUNA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय
(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1982

सं. 46/2/81-न्याय.—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच के गठन किए जाने की मांग से उत्पन्न होने वाले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए, तारीख 4 सितम्बर, 1981 के संकल्प सं. 46/2/81-न्याय के तहत श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। भारत सरकार ने आयोग का कार्यकाल छः महीने की अवधि के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। तदनुसार, आयोग का

कार्यकाल छः महीने के लिए और बढ़ाया जाता है और आयोग अपनी रिपोर्ट 3 सितम्बर, 1982 तक प्रस्तुत कर देगा ।

एस. के. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th March, 1982

No. 46/2/81-Jus.—The Government of India had set up a three-member Commission with Shri Jaswant Singh as Chairman vide Resolution No. 46/2/81-Jus., dated the 4th September, 1981 to consider all aspects arising out of the demand for constitution of a Bench of the Allahabad High Court in the Western Districts of Uttar Pradesh. The Commission was to submit its report within six months. The Government of India have resolved to extend the term of the Commission for a further period of six months. Accordingly, the term of the Commission is extended for a further period of six months and the Commission will submit its report by 3rd September, 1982.

S. K. SHARMA, Dy. Secy.